न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–6, अयोध्या।

पीठासीनः दीपिका तिवारी..... एच०जे०एस०, जे.ओ. कोडः– यू०पी० 2719

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 144/2026

C.N.R. No. UPFZ010030812026

कम्प्यूटर पंजीयन संख्या–1070/2026

राजीव कुमार आयु लगभग 26 वर्ष पुत्र श्री काशी प्रसाद, निवासी ग्राम छितहा, थाना गौर, जिला बस्ती। **.....प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश **..... विपक्षी**

.....

अपराध संख्या–454/2024
अंतर्गत धारा–4(1)/13(2) उत्तर प्रदेश
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण)
अध्यादेश 2024 व धारा 318(2) बी.एन.एस.
थाना–कोतवाली नगर,
जिला–अयोध्या (फैजाबाद)

दिनाँक–05.06.2026

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

1. आवेदक/अभियुक्त राजीव कुमार की तरफ से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 438 दं०प्र०सं०/482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुनी।

2. उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में आवेदक/अभियुक्त की तरफ से यह कथन किया गया है कि प्रार्थी विधि का छात्र है। प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमे में झूठा, फर्जी, हैरान व परेशान करने की नीयत से अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त का न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत का यह प्रथम प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थी की जमानत का कोई प्रार्थना पत्र न तो दिया गया है न ही विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है। उपरोक्त मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति स्वाप्रमाणित करके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक 08.08.2024 की बतायी गयी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट 10 दिन विलम्ब से दिनांक 17.08.2024 को दर्ज करायी गयी है। विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया है जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदेहास्पद है। प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमे में मुख्य अभियुक्त (परीक्षार्थी) रोहित कुमार के बताने पर नामजद किया गया है, जबकि मो0 नं0:–70071××××× प्रार्थी /अभियुक्त का होना बताकर अभियुक्त बनाया गया है, जबकि उक्त मोबाइल नम्बर प्रार्थी का नही है न ही उक्त

Digitally signed by Deepika Tiwari
Date: 2026.06.05 16:50:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मोबाइल प्रार्थी की है। मुख्य अभियुक्त रोहित कुमार प्रार्थी/अभियुक्त के कमरे के बगल रहता था उससे प्रार्थी की दुश्मनी थी इसलिए उसने प्रार्थी का नाम गलत तरीके से उक्त मुकदमे में शामिल करा दिया। उक्त घटना से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई सम्बन्ध या सरोकार नही है। प्रार्थी ने उक्त घटना में कोई कृत्य नही किया है। प्रार्थी/अभियुक्त विधि का छात्र है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी कभी भी किसी परीक्षा में नकल करने या कराने का आरोपी नही है। प्रार्थी को प्रस्तुत मुकदमे में पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहती है, जेल जाने से प्रार्थी की पढ़ाई–लिखाई में व्यवधान उत्पन्न होगा तथा प्रार्थी के जीवन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा प्रार्थी के उक्त मुकदमे में विवेचना हेतु प्रार्थी का न्यायिक अभिरक्षा में रहने की कोई आवश्यकता नही है। प्रार्थी अग्रिम जमानत हो जाने के उपरान्त विवेचना/विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अक्षरशः पालन करेगा, कभी भी जमानत के शर्तों का दुरूपयोग नही करेगा। साक्षीगण को प्रभावित करने का कोई प्रयास नही करेगा। प्रार्थी सम्मानित परिवार का छात्र/सदस्य है जमानत का दुरूपयोग करने अथवा प्रार्थी के फरार होने की कोई सम्भावना नही है। उक्त मुकदमे में मुख्य अभियुक्त रोहित कुमार की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0:–4497/2024 न्यायालय श्रीमान् अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०:–6 के न्यायालय से दिनांक 12.09.2024 को मु0:–20,000/2 जमानत हो चुकी है। प्रार्थी श्रीमान् जी के सन्तोषानुसार अपनी सक्षम जमानत देने को तैयार है। बाद जमानत उसका दुरूपयोग नही करेगा। अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमे में दौरान विवेचना अग्रिम जमानत का आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

3. उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर थाना कोतवाली नगर, जनपद अयोध्या द्वारा इस आशय की आख्या न्यायालय को प्रेषित की गयी है कि वादी श्री राकेश कुशवाहा पर्यवेक्षक प्रवक्ता डायट अयोध्या की तहरीरी सूचना पर दिनांक 17.08.2024 को अन्तर्गत धारा 318(2) भा०न्या०सं०, व 4(1), 13(2) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश 2024 बनाम 1. रोहित कुमार अनुक्रमांक 5015904196 निवासी अहिरौली हनुमानगंज जनपद बस्ती, 2. राजीव कुमार मो0 नं0. 7007179814 का धारक 3. शुभम चौधरी मो0 नं0. 9451583758 का धारक पंजीकृत होकर अभियोग उपरोक्त की विवेचना तत्कालीन विवेचक/क्षेत्राधिकारी नगर जनपद अयोध्या द्वारा की जा रही थी जिनके स्थानान्तरण के उपरान्त मुझ क्षेत्राधिकारी की नियुक्त क्षेत्राधिकारी नगर जनपद अयोध्या के पद पर हुयी। मुझ विवेचक/क्षेत्राधिकारी नगर जनपद अयोध्या द्वारा अभियोग उपरोक्त की विवेचना ग्रहण कर सम्पादित की जा रही है। अभियोग उपरोक्त की अब तक की विवेचना, बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल, अवलोकन स्क्रीन शाट, अवलोकन सीडीआर/ कैफ व अन्य संकलित साक्ष्यों से पाया जा रहा है कि दिनांक 08.08.2024 को डीएलएड की परीक्षा छात्र/अभियुक्त रोहित कुमार द्वारा दी जा रही थी परीक्षा के समय छात्र/ अभियुक्त रोहित कुमार अपना मोबाइल मो.नं. 9451583758 अभियोग में नामित राजीव कुमार को दिया गया था, मो0 न 0 9451583758, 7007179814 परीक्षा के समय राजीव कुमार के पास थे उनके द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे थे। विवेचना से मो0 नं0.7007179814 का धारक राजीव कुमार पुत्र काशी प्रसाद निवासी छितहा थाना गौर जनपद बस्ती पर विरूद्ध धारा 318(2)

भा0न्या0सं0 व 4 (1), 13(2) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश 2024 का अपराध पाया जा रहा है। अभियोग उपरोक्त की विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने पर साक्ष्य एवं साक्षियों से छेड़छाड़ से इंकार नहीं किया जा सकता है। याची अभियुक्त के विरूद्ध केस डायरी पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि डी एल. एड. परीक्षा वर्ष 2024 की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा दिनांक 08.08.2024 को वादी मुकदमा के केन्द्र पर समय 10:00 बजे से 12:00 बजे तक संचालित हो रही थी जिसमें कक्ष सं0 09 में रोहित कुमार पुत्र हरिश्चन्द्र अनुक्रमांक 50159XXXXX निवासी अहिरौली, हनुमानगंज, बस्ती परीक्षा दे रहे थे। कक्ष निरीक्षक श्री संजय मेहरोत्रा एवं श्री आशीष द्विवेदी द्वारा अवगत कराया गया कि एक छात्र रोहित कुमार बाथरूम के लिये समय लगभग 11:25 बजे गया था जो बहुत देर से लौट कर नहीं आया। केन्द्र व्यवस्थापक तथा पर्यवेक्षक द्वारा तत्काल जांच करने पर पाया गया कि रोहित कुमार विद्यालय के बाथरूम में शौच करने के बहाने से गया था तथा बाथरूम में बैठकर अपने मोबाइल नम्बर 96480XXXXX से मोबाइल नम्बर 94515XXXXX पर पेपर भेजा तथा उसका उत्तर अनवरत उसी मोबाइल पर प्राप्त हो रहा था। साक्ष्य के रूप में इसका मोबाइल संलग्न कर भेजा जा रहा है जिसमें साक्ष्य मौजूद है। छात्र ने यह स्वीकार किया कि वह छिपकर पिछले गेट से प्रवेश कर बाथरूम में मोबाइल छिपाकर परीक्षा कक्ष में आकर बैठकर परीक्षा देने लगा तथा बाद में बाथरूम के बहाने जाकर इस कृत्य को अंजाम दिया। उक्त कृत परीक्षार्थी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया। परीक्षार्थी के वाटसप नम्बर 96480XXXX द्वारा अन्य वाह्य वाटसप नम्बर 70071XXXXX (राजीव कुमार, अयोध्या परीक्षार्थी के सूचना अनुसार) पर 10:16 प्रातः परीक्षा के दौरान बाथरूम में रखे मोबाइल पर आया हुआ है। इसी दौरान एक और वाटसप नंबर 94515XXXXX (शुभम चौधरी, बस्ती परीक्षार्थी के सूचना अनुसार) पर 11.30 प्रातः परीक्षा के दौरान बाथरूम से प्रश्नपत्र प्रेषित किया गया तथा सम्बन्धित सूचना अपने वाटसप नम्बर पर 11:43 एवं 12:00 बजे तक प्राप्त किया। इसी दौरान प्रातः 11:30 संदिग्ध अवस्था में ही 94515XXXXX पर फोनिक कॉल 34 सेकेण्ड के लिए किया गया तथा पुनः इसी मो० नम्बर पर प्रातः 11:32 पर 07:12 मिनट फोनिक कॉल द्वारा बात किया गया। उक्त सूचना परीक्षार्थी से केन्द्र व्यवस्थापक एवं पर्यवेक्षक द्वारा परीक्षा के दौरान मोबाइल अनलॉक कराने पर प्राप्त हुआ जिसके साक्षी कक्ष निरीक्षक श्री संजय मेहरोत्रा एवं श्री आशीष द्विवेदी जी रहे।

5. राज्य की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का मौखिक विरोध किया गया है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुनने के पश्चात मूल पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त राजीव पर सहअभियुक्त रोहित द्वारा बाथरुम में रखे मोबाइल के जरिए प्रश्न पत्र प्राप्त कर उसका उत्तर मोबाइल पर अभियुक्त द्वारा भेजे जाने के आरोप लगे हैं। यहां यह सन्दर्भित है कि अभियुक्त प्रकरण में स्वयं परीक्षार्थी था। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश,

2024 के अनुशास्ति या दण्ड से संबंधित उपबन्ध शैक्षणिक, तकनीकी, व्यवसायिक या अन्य योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे परीक्षार्थियों पर लागू नही होगा। उक्त अनुशास्ति या दण्ड से संबंधित प्रावधान परीक्षार्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर लागू होगा। अभियुक्त पर डी०एल०एड० की वर्ष 2024 की प्रथम सेमेस्टर परीक्षा में परीक्षा केन्द्र पर अनुचित साधन प्रयोग करने का आरोप है। अनुचित साधन प्रयोग करते हुए पकड़े गये परीक्षार्थी के लिए उक्त अध्यादेश के अनुसार केवल उस परीक्षार्थी का परिणाम रोक लेने और बाद के एक कैलेण्डर वर्ष के लिए सार्वजनिक परीक्षा में बैठने से वंचित करने की व्यवस्था दी गयी है। उक्त कार्यवाही करने के पूर्व उपबन्धों के उल्लंघन की जाँच संबंधित परीक्षा प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से किया जायेगा और ऐसी जाँच में परीक्षार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। प्रस्तुत मामले में परीक्षा प्राधिकारी द्वारा न तो विहित रीति से कोई जांच की गयी है और न ही ऐसी जाँच में परीक्षार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया है। उपरोक्त अध्यादेश की धारा 27 के अनुसार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 निरसित कर दिया गया है। अतः अभियुक्त/परीक्षार्थी पर शास्ति से संबंधित अध्यादेश, 2024 की धारा 4(1) व 13(2) का कोई मामला नही बनता है। अभियुक्त विवेचना में सहयोग करने के लिए तैयार है।

उपरोक्त धाराओं के अलावा अभियुक्त को धारा 318(2) भारतीय न्याय संहिता में वांछित किया गया है। उक्त धारा जमानतीय प्रकृति की है। मामला विवेचनाधीन है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त की गिरफ्तारी की आशंका युक्तियुक्त आधारों पर आधारित है।

ऐसी स्थिति में अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आधार पर्याप्त होने के कारण स्वीकृत होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त राजीव कुमार की तरफ से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–**144/2026**, धारा 4(1)/13(2) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 2024 व धारा 318(2) बी०एन०एस०, थाना कोतवाली नगर, जनपद अयोध्या स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त को संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि पर अभियुक्त द्वारा मु० 20,000/– (बीस हजार रुपये) का निजी बन्धपत्र व समान धनराशि का दो जमानत बन्धपत्र एवं इस आशय की अंडरटेकिंग कि, वह विवेचना में पूर्ण सहयोग देगा तथा न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय में उपस्थित आता रहेगा, दाखिल करने पर उन्हें अग्रिम जमानत पर विचारण न्यायालय द्वारा रिहा किया जाये।

दिनाँकः–05.06.2026

(दीपिका तिवारी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–6, अयोध्या।
जे.ओ. कोडः– यू०पी० 2719